

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

1- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर शहर में नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

2- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री पवन दुग्गल, सदस्य, विधान सभा, पाक विस्थापित शरणार्थियों को नागरिक अधिकार देने एवं जाति प्रमाण-पत्र देकर उनका पुनर्वास करने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. याचिका का उपस्थापन

श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर स्थित माली कॉलोनी, सीकर हाऊस, चॉदपोल बाहर स्थित राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के अध्ययन के लिये समुचित कमरों, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या- 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

नोट - आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2010

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग (संख्या-2)
विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-2)

"वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए
विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 25 मार्च, 2010